(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 18/2023
नई दिल्ली, दिनांकः 10 जुलाई, 2023

विषयः अनुसूची 1 (आयात नीति) आईटीसी (एचएस), 2022 के अंतर्गत आयात नीति से संबंधित सामान्य टिप्पणियों में संशोधन के संबंध में।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अनुसूची–I (आयात नीति) आईटीसी (एचएस), 2022 के अंतर्गत आयात नीति से संबंधित सामान्य टिप्पणियों को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अधिसूचित करती हैः–

मौजूदा प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
4(घ) खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुः भारत में सुरक्षित खाद्य आयात के अधिदेश को सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई ने अनुसूची–I (आयात नीति) के परिशिष्ट–V में सूची 'क' के अनुसार एफएसएसएआई की अधिसूचना दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 (फा. सं. 1–1715/एफएसएसएआई/आयात/2017) के तहत 150 खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं [जिनमें 27 समुद्र पत्तन, 15 हवाई अड्डे, 31 स्थल सीमाशुल्क स्टेशन (एलसीएस) और 77 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) शामिल हैं] पर खाद्य आयात की निकासी को संचालित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित किया है। आईटीसी (एचएस) 2017 की अनुसूची–I के परिशिष्ट–v की सूची 'ख' में यथा वर्णित 1515 एचएस कोड में उल्लिखित मदों हेतु खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं पर प्रतिबंध लागू होगा।	4(घ) खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुः भारत में सुरक्षित खाद्य आयात के अधिदेश को सुनिश्चित करने के लिए एफएसएसएआई ने आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I के परिशिष्ट–V में सूची 'क' के अनुसार अधिसूचना दिनांक 12.11.2021 (फा. सं. 1–1715/एफएसएसएआई/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 11.06.2021 (फा. सं. 1–1715/एफएसएसएआई/आयात/2017), अधिसूचना दिनांक 31.01.2022 (1–1685/ एफएसएसएआई/आयात/2017) अधिसूचना दिनांक 28.03.2023 (फा. सं. 1–1715/एफएसएसएआई/ आयात/2017/भाग–1) और अधिसूचना दिनांक 14.06.2023 (फा. सं. 1–1715/एफएसएसएआई/ आयात/2017) के साथ पठित एफएसएसएआई की अधिसूचना दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 (फा. सं. 1–1715/एफएसएसएआई/आयात/2017) के तहत 161 खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं [जिनमें 28 समुद्र पत्तन, 16 हवाई अड्डे, 32 स्थल सीमाशुल्क स्टेशन (एलसीएस) और 85 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) शामिल हैं] पर खाद्य आयात की निकासी को संचालित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित किया है। आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची–I के परिशिष्ट–V की सूची 'ख' में यथा वर्णित 1579 एचएस कोडों में उल्लिखित मदों हेतु खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं पर प्रतिबंध लागू होगा।

2. अनुसूची–I (आयात नीति), आईटीसी (एचएस), 2022 के परिशिष्ट–V में सूची क को निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः

(क) अतिरिक्त खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं पर प्राधिकृत अधिकारियों की अधिसूचनाः

सं. सांख्यी

क्रम सं.	पत्तन का नाम	पत्तन का कोड	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	प्राधिकृत अधिकारी
1.	जेएनपीटी–एसईजेड	आईएनपीजेएन6	महाराष्ट्र	एफएसएसएआई प्राधिकृत अधिकारी
2.	आईसीडी–अडानी किला रायपुर–लुधियाना	आईएनक्यूआरपी6	पंजाब	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
3.	हल्दिया पत्तन	आईएनएचएएल1	पश्चिम बंगाल	एफएसएसएआई प्राधिकृत अधिकारी
4.	एसीसी जनोरी	आईएनजेएनआर4	महाराष्ट्र	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
5.	आईसीडी जनोरी	आईएनजेएनआर6	महाराष्ट्र	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
6.	सीएफएस अंबाद	आईएनएनएसके6	महाराष्ट्र	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
7.	एनडीआर सेज	आईएनएनपीके6	तमिलनाडु	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
8.	आईसीडी बरही–सोनीपत	आईएनआरयूजी6	हरियाणा	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
9.	गोलकगंज एलसीएस	आईएनजीकेजेबी	असम	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
10.	एचटीपीएल आईसीडी किलारायपुर	आईएनक्यूआरएच6	पंजाब	अधीक्षक / मूल्यांकनकर्ता / निरीक्षक / परीक्षक
11.	एआईएसएल आईसीडी दुर्गा	आईएनडीयूआर6	पश्चिम बंगाल	एफएसएसएआई प्राधिकृत अधिकारी

ख) मौजूदा खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं में संशोधन।

क्रम सं.	मौजूदा प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
I	आईसीडी नागपुर (आईएनएनजीपी6)	आईसीडी मिहान (आईएनकेपीके6)

3. अनुसूची–I (आयात नीति), आईटीसी (एचएस), 2022 के परिशिष्ट–V में सूची ख को इस अधिसूचना के अनुलग्नक–I पर अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचना का प्रभावः अनुसूची–I (आयात नीति), आईटीसी (एचएस), 2022 के तहत आयात नीति से संबंधित सामान्य टिप्पणियों को संबंधित एफएसएसएआई अधिसूचनाओं के समकालिक खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं के संबंध में संबंधित ब्यौरे को अद्यतित करने हेतु संशोधित किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
10.7.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/27/एएम–12/पीसी–2[क]/ई–5955 से जारी)